



2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,

लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

पत्रांक:-5139/01/29/HFA-12/2017-18

दिनांक:-20 मार्च, 2018

परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
जनपद सीतापुर।

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार घटक की डीपीआर के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया था कि संस्था द्वारा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास विस्तार घटक की डीपीआर में वर्किंग ड्राईंग के कुछ मॉडल तैयार कर दिये गये हैं तथा लाभार्थी भूमि की वास्तविक माप के अनुसार वर्किंग ड्राईंग तैयार कर डीपीआर नहीं बनायी गयी है। आप द्वारा उक्त के सम्बन्ध में मार्गदर्शन माँगा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस0एल0एस0एम0सी0 एवं सी0एस0एम0सी0 से स्वीकृति हेतु Preliminary DPR ही तैयार की जाती है। HFAPoA कन्सलटेन्ट के अनुसार उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट द्वारा कुछ मॉडल एनबीसी मानक के अनुसार तैयार कर Preliminary DPR की गयी है, जिसमें लाभार्थी की स्थलीय आवश्यकता के आधार पर यथा-एक कमरा, एक कमरा+रसोई, एक कमरा+रसोई+शौचालय+स्नानघर, एक कमरा+शौचालय आदि सम्मिलित हैं। भारत सरकार (सीएसएमसी) द्वारा गत बैठकों में इसी आधार पर Preliminary DPR हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। डीपीआर स्वीकृति के पश्चात् प्रत्येक लाभार्थी के आवास की वास्तविक माप के अनुसार ही अलग-अलग वर्किंग ड्राईंग उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गयी डीपीआर कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षरित कराते हुए अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश।
2. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक